संख्याः 2010/सात/2004–58–उद्योग/04

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादूनः दिनॉकः 23 अगस्त, 2004

विषयः उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य में हथकरघा, हस्तशिल्प एवं छीपी उद्योग के विकास हेतु समुचित रणनीति तैयार कर उसे कियान्वित करने, हथकरघा और हस्तशिल्प एवं छीपी उद्योग की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के सरंक्षण, संवर्ध्दन, प्रदर्शन एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करने, प्रदेश के शिल्प प्रधान ग्रामों को शिल्पग्राम रूप में चयन कर परम्परागत हथकरघा एवं शिल्पों का संरक्षण, संवर्ध्दन व प्रचार–प्रसार तथा इन्हें पर्यटन से जोड़ने, प्रदेश के शिल्पकला/हथकरघा को श्रेणीबध्द करके उनका प्रलेखीकरण करने, जिससे कि"उत्पादित माल" का उसकी संरचना के अनुरूप विभिन्न शिल्प/व्यापार मेलों में प्रतिनिधित्व एवं भाग लिये जाने, विभिन्न शिल्प व्यापार मेलों में भाग लिया जा सकें, प्रदेश की इकाईयों द्वारा किये जा रहे उत्पादन के बाजार को बढ़ाने के लिये देश व विदेशों में शिल्प/व्यापार मेलों की व्यवस्था करने, देश एवं विदेश में परिषद द्वारा लगाये जा रहे मेलों का प्रचार/प्रसार करने तथा उत्तरांचल के हथकरघा/हस्तशिल्प के कारीगरों को उच्च व नई तकनीक का ज्ञान कराकर वर्तमान विश्व व्यापार के योग्य बनाने, विदेशी उद्यामियों से सम्बन्धित विषयों पर ज्ञान वृध्दि करने वाली सामग्री उपलब्ध कराने तथा उन्हें प्रदेश के मेलों/प्रदर्शनी में आमंत्रित करने, परिषद के कार्यकलापों के सहायतार्थ विभिन्न संस्थाओं एवं शासन के प्रतिभूतियों, ग्रान्टस, चन्दा, दान आदि नकद या अन्य रूपों में यथा चल या अचल सम्पति आदि हो, सहायता प्राप्त करने आदि हेतु "उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद" का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के गठन का मुख्य उददेश्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृध्दि किया जाना है।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न प्रकार के स्थानीय हस्तशिल्पों की पहचान की जाय और उत्पादन और"मार्केटिंग " के क्षेत्रों में उनको समुचित सहायता दिया जाना सुनिश्चित किया जाय। उदाहरणार्थ–प्रदेश के सीमान्त व अन्य क्षेत्रों में कालीन बुनने के कार्य के क्षेत्र में निर्माण

और मार्केटिंग में सहायता सुनिश्चित की जाय जिससे उत्तरांचल में निर्मित कालीन विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के स्तर के हो सकें।

उपरोक्तानुसार गठित उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का मुख्यालय उद्योग निदेशालय, देहरादून में स्थापित कर दिया जाये और इस परिषद का कार्यक्षेत्र देश व प्रदेश में तथा आवश्यकतानुसार विदेश में भी रखा जाय।

4— उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के संरक्षक राज्य सरकार में पदासीन मा0 लघु उद्योग मंत्री जी होंगे।

5— उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद की कार्यकारिणी निम्न रूप से गठित की गयी है:—

(1)	मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष।
(2)	सचिव, औद्योगिक विकास	उपाध्यक्ष।
(3)	अपर सचिव, औद्योगिक विकास	सदस्य।
(4)	प्रतिनिधि वित्त विभाग, उत्तरांचल	सदस्य।
(5)	प्रतिनिधि ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य।
(6)	प्रतिनिधि वन विभाग	सदस्य।
(7)	प्रतिनिधि पर्यटन विभाग	सदस्य।
(8)	प्रतिनिधि कृषि विभाग	सदस्य।
(9)	प्रतिनिधि पशुपालन विभाग	सदस्य।
(10)	कार्यकारी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	सदस्य।
(11)	शासन द्वारा हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिल्पी अथवा इस क्षेत्र में जाने पहचाने विशेषज्ञ(7)	सदस्य।
(12)	कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक	सदस्य।
(13)	कुमायूँ/गढ़वाल जनजाति विकास निगम के महा प्रबन्धक	सदस्य।
(14)	विकास आयुक्त,(हथकरघा) भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य।
(15)	विकास आयुक्त(हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य।
(16)	अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय	सदस्य सचिव।

6— इस संबंध में परिषद का मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन एवं नियमावली की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये आपसे अनुरोध है कि परिषद का पंजीकरण सुनिश्चित कर परिषद के कार्यकलापों को कार्यरूप में परिणीत करने के लिये शीघ्रातीशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजीव चोपड़ा) 23/07.

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:2010 / सात / 2004–58–उद्योग / 04, तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1)समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2)परिषद के सभी पदाधिकारी / सदस्य।
(3)आयुक्त, गढ़वाल मण्डल विकास निगम / कुमॉऊ मण्डल विकास निगम।
(4)समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
(5)गोपन अनुभाग।
(6)गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।